



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/EC/18/2013/2013

Date.....11/10/2013.....


सेवा में,

1. डॉ० गीथा शिवामूर्ति,
प्रोफेसर, ओ० बी० एण्ड जी०,
बैंगलोर मेडिकल कालेज, कर्नाटक।
2. श्री राजीव बेरी,
19/1, प्लीसेन्ट वेली, राजपुर रोड,
देहरादून।
3. श्री सुधीर चड्ढा,
उद्योगपति, चड्ढा सीड फार्म,
चकलवा, नैनीताल।
4. डॉ० मुकुल पंत,
निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी
5. प्रोफेसर आर०सी० मिश्र,
निदेशक,
प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य, एवं क्षेत्रीय सेवाएँ, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
6. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे,
निदेशक,
शोध/समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
7. प्रोफेसर गोविन्द सिंह,
निदेशक,
मानवीकी विद्या शाखा, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर एच०पी० शुक्ल,
निदेशक, भाषा विज्ञान विद्या शाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
9. डॉ० मदन मोहन जोशी,
सहायक प्राध्यापक, इतिहास, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
10. श्रीमती आभा गर्खाल,
वित्त नियंत्रक, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।

महोदय/महोदया,

कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न कार्य परिषद की 9वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन प्रस्तावित हो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन किया जा सके।

सादर,

भवदीय,


(एल०एस० रावत)

कुलसचिव/सचिव कार्य परिषद

प्रतिलिपि:- कुलपति कार्यालय को कार्यवृत्त सहित कुलपति महोदय के अवलोकनार्थी

दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 11.00 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न कार्य परिषद की 9वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया :

1. प्रोफेसर सुभाष धूलिया, अध्यक्ष
कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।
2. डॉ० गीथा शिवामूर्ति, सदस्य
प्रोफेसर, ओ० बी० एण्ड जी०,
बैंगलोर मेडिकल कालेज, कर्नाटका।
3. श्री राजीव बेरी, सदस्य
19/1, प्लीसेन्ट वेली, राजपुर रोड़,
देहरादून।
4. श्री सुधीर चड्ढा, सदस्य
चड्ढा सीड फार्म, पोस्ट-चकलवा, नैनीताल।
5. प्रोफेसर आर०सी० मिश्र सदस्य
निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
6. प्रोफेसर गोविन्द सिंह, सदस्य
निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
7. प्रोफेसर एच.पी. शुक्ल, सदस्य
निदेशक, भाषा विज्ञान विद्या शाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, सदस्य
निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
9. डॉ० मदन मोहन जोशी, सदस्य
सहायक प्राध्यापक,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 10. | डॉ मुकुल पंत,
निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी
(प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा नामित) | सदस्य |
| 11. | श्री एल0एस0 रावत,
कुलसचिव,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य सचिव |
| 12. | श्रीमती आभा गर्खाल,
वित्त नियन्त्रक,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | विशेष आमंत्री |
| 13. | डॉ0 संजय ध्यानी,
उपकुलसचिव,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | विशेष आमंत्री |

कार्य परिषद की 9वीं बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव (सचिव कार्य परिषद) द्वारा कुलपति (अध्यक्ष) तथा सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। इसके बाद कुलपति जी ने सभी सम्मानित सदस्यों से वर्तमान कुलसचिव श्री लक्ष्मण सिंह रावत तथा उपकुलसचिव डॉ0 संजय ध्यानी का परिचय कराया जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में दिनांक 17.09.2013 तथा दिनांक 09.09.2013 को कार्यभार ग्रहण किया है।

इसके उपरान्त कार्य परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

प्रस्ताव संख्या 9.01- कार्य परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 07.05.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्य परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 07.05.2013 के कार्यवृत्त को सभी सदस्यगणों को प्रेषित किया गया था तथा यह अनुरोध किया गया था कि यदि कोई संशोधन हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में किसी सदस्य से कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। परिषद के समक्ष आठवीं बैठक दिनांक 07.05.2013 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 9.02- कार्य परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 07.05.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

उपर्युक्त पर परिषद ने सर्व सम्मति से अनुमोदन किया तथा बिन्दु संख्या- 08.15 पर कुलपति जी द्वारा सभी माननीय सदस्यों को यह अवगत कराया कि मानव संसाधन एवं मूलभूत सुविधाओं के संबंध में (Vision Paper) जो कि महामहिम कुलाधिपति को भेजा गया था उसे शासन को भी भेजा गया है ताकि दोनों स्तरों से इस पर कार्यवाही हो सके। कार्य परिषद द्वारा कृत कार्यवाही का अवलोकन किया गया तथा उस पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या 9.03- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाने वाले शपथ पत्र के अनुमोदन पर विचार।

उक्त पर समस्त सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु निर्धारित शपथ पत्र पर संबंधित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने तथा उसे आयोग को प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया तथा यह भी उल्लेख किया कि जो बजट वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु प्रत्येक शीर्षक के आधार पर बनाया गया है उसका औचित्य और अधिक स्पष्ट होने से कार्यवाही करवाने में आसानी रहती है। इस प्रकार शपथ पत्र के साथ संलग्न औचित्य प्रपत्र का भी सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा औचित्य प्रपत्र को अधिक सुस्पष्ट बनाने का सुझाव दिया गया। पिथौरागढ़, टिहरी तथा गैरसेण में खोले जा रहे तीनों क्षेत्रीय परिसरों की सराहना की गयी।

प्रस्ताव संख्या 9.04- कुलसचिव, उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूरित किये जाने के संबंध में सूचना।

प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 9.05- संविदा के आधार पर नियोजित श्री अभिषेक नागर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं श्री सौरभ पाण्डे, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में।

उक्त से परिषद अवगत हुई तथा 15 दिन के नोटिस अथवा उसके स्थान पर समतुल्य धनराशि जमा करने के विषय को अवगत करवाया गया जिस पर समिति द्वारा विषय पर शिथिलता देने का सर्वसम्मति से अनुमोदन हुआ।

प्रस्ताव संख्या 9.06- डॉ० अमित गंगोटिया, सहायक प्राध्यापक, पर्यटन के केन्द्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप उन्हें कार्यमुक्त किये जाने तथा एक माह के वेतन के समतुल्य राशि की छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त प्रस्ताव से परिषद अवगत हुई तथा 01 माह के नोटिस अवधि अथवा वेतन जमा करने के प्रकरण पर दी गयी शिथिलता का अनुमोदन किया।

प्रस्ताव संख्या 9.07- डॉ० सुबोध कुमार, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार तथा डॉ० रजनी रंजन सिंह, सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र को 01 वर्ष का धारणाधिकार एवं अवैतनिक अवकाश दिये जाने के संबंध में।

विश्वविद्यालय परिनियमावली के धारणाधिकार के संबंध में कोई प्राविधान न होने के कारण इनके द्वारा चाहा गया अवैतनिक अवकाश तथा धारणाधिकार के प्रकरण को कार्य परिषद में प्रस्तुत किया गया। इस पर परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इनकी सेवा अवधि विश्वविद्यालय में 01 वर्ष 10 माह है, अतः इन्हें अवैतनिक अवकाश एवं धारणाधिकार मान्य नहीं है। इनको दिनांक 28.06.2013 के अपरान्ह विश्वविद्यालय में सेवा से उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर कार्य मुक्त किया गया था यह तिथि ही इनकी सेवा समाप्ति की तिथि मानी गयी।

प्रस्ताव संख्या 9.08- विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों के धारणाधिकार के संबंध में प्रस्तावित नियम।

उपर्युक्त प्रकरण के संदर्भ में विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों के धारणाधिकार के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में कोई प्राविधान न होने के कारण इस हेतु कार्यरत प्राध्यापकों के स्थायीकरण होने की तिथि के उपरान्त 03 वर्षों की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर धारणाधिकार के लिए योग्य होने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

संकाय की सेवा-शर्तों के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया कि वे 05 सदस्यों की एक समिति का गठन करेंगे, जिसमें से एक सदस्य कार्य परिषद का तथा एक सदस्य इग्नू से सम्मिलित करने पर सहमति बनी इस प्रकार 02 सदस्य आन्तरिक तथा 02 सदस्य वाह्य होंगे। इग्नू की सेवा नियमावली तथा अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों से भी इस संबंध में सेवा नियमावली मंगानी होगी तदनुसार इस पर रूपरेखा तैयार की जायेगी।

प्रस्ताव संख्या 9.09- विश्वविद्यालय में रेडियो प्रसारण कार्यक्रम के आरम्भ होने के संबंध में।

उपरोक्त से समिति अवगत हुई तथा समिति ने सुझाव दिया कि रेडियो प्रसारण हेतु फ्रीक्वेंसी बढ़ायी जाय तथा इसमें ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा, जीवंत कार्यक्रम, मनोरंजक कार्यक्रम, बच्चों की क्विज प्रतियोगिता तथा बच्चों को प्रोत्साहन के कार्यक्रम भी समय-समय पर आयोजित करवाये जाने पर सर्व सम्मति हुई। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की अनुमति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है अतः इसे स्थगित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 9.10- परिवीक्षाधीन सहायक प्राध्यापक डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी के स्थायीकरण के संबंध में विचार।

डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र की परिवीक्षा अवधि दिनांक 07.08.2013 को पूर्ण होने पर इनके स्थायीकरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा इनके नाम को प्रवीण के स्थान पर प्रवीण पढ़े जाने का अनुमोदन हुआ।

प्रस्ताव संख्या 9.11- डॉ० हेमन्त काण्डपाल, सहायक प्राध्यापक, आयुर्वेद को निलम्बन के उपरान्त सेवा में बहाल किये जाने विषयक सूचना।

समिति ने इसका अनुमोदन किया।

प्रस्ताव संख्या 9.12- विश्वविद्यालय में शैक्षिक सामन्जस्य इकाई (Academic Coordination Division) का गठन।

विश्वविद्यालय के वृहत कार्यक्षेत्र एवं शैक्षिक विकास/उन्नयन के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय में **Academic Coordination Division** का गठन प्रस्तावित है जिसके उद्देश्य/कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

1. केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं यथा- यू०जी०सी०, एम०एच०आर०डी०, इग्नू आदि से सक्रिय समन्वय स्थापित करना।
2. विश्वविद्यालय के शैक्षिक उन्नयन से संबंधित मुद्दों पर कार्ययोजना तैयार करना एवं सक्षम प्राधिकारी/संस्था से अनुमोदन प्राप्त करना।

उपरोक्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा कुलपति जी को अग्रिम रूपरेखा बनाने हेतु अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 9.13- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तत्कालीन डेक तथा ए0आई0सी0टी0ई0 के संयुक्त पैनल के द्वारा किये गये विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन पर आधारित डी0ई0बी0-यू0जी0सी0 से प्राप्त मान्यता विषयक पत्र से कार्य परिषद को अवगत कराना तथा दिशा-निर्देश प्राप्त करना।

उपर्युक्त पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन पाठ्यक्रमों को यू0जी0सी के पत्र दिनांक 26 अगस्त, 2013 द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है और वे विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे हैं उनके लिये यू0जी0सी0 को पुनः अनुरोध किया जाना चाहिए। समिति के संज्ञान में यह भी लाया गया कि विश्वविद्यालय ने यू0जी0सी0 द्वारा वांछित उपर्युक्त पत्र में वर्णित सभी शर्तों से सहमति जताते हुए एक शपथ पत्र भेज दिया है, चूंकि यह प्रकरण विद्या परिषद से संबंधित है अतः इसे विद्या परिषद में प्रस्तुत कर तत्पश्चात् यू0जी0सी0 से, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य संस्थानों के साथ अनुबंध पत्रों के आधार पर चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों तथा यू0जी0सी0 द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये पाठ्यक्रमों के संबंध में अनुरोध किया जाना उचित होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्रांक-UGC/DEB/Recog./2013/1346-1350 दिनांक 26 अगस्त, 2013 विश्वविद्यालय को अकादमिक सत्र के मध्य में प्राप्त हुआ है तथा बहुत से विद्यार्थियों ने लगभग सभी विषयों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है अतः स्वाभाविक रूप से इस पत्र के अनुरूप कार्यवाही जुलाई, 2014 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षा सत्र से की जानी होगी इसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 9.14- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

1. सभा के अन्त में सदस्यों ने विश्वविद्यालय में अध्ययन सामग्री के विषय में विचार-विमर्श किया तथा सदस्यों की पृष्ठा पर उन्हें अवगत कराया गया कि अध्ययन सामग्री अधिकांश हिन्दी में तैयार की जाती है किसी-किसी विषय में दोनों भाषाओं (अंग्रेजी व हिन्दी) में भी तैयार की जाती है, जो अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में विज्ञान से संबंधी अध्ययन सामग्री तैयार की जा रही है। सदस्यों ने इस पर भी जोर दिया कि जिन पाठ्यक्रमों में अभी अध्ययन सामग्री तैयार नहीं है उसे शीघ्र तैयार किया जाय व अध्ययन सामग्री दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहे।
2. विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा परिषद (डेक) से ग्रान्ट नहीं मिल रही है जिससे संसाधनों की कमी है इस विषय पर भी चर्चा की गयी। समिति द्वारा विश्वविद्यालय पत्रिका का नियमित प्रकाशन किये जाने विषय पर भी चर्चा हुई जिसमें 'उड़ान' पत्रिका के संबंध में समिति को अवगत करवाया गया। बाहर की कंपनियों से किये गये अनुबन्ध पर उनकी मांग के अनुसार उन्हें Technical Trained Students उपलब्ध कराने पर समिति अवगत हुई।

अन्त में परिषद की बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त समाप्त हुई।



(एल0एस0 रावत)

कुलसचिव/सचिव कार्य परिषद
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

5

प्रो० सुभाष धूलिया
कुलपति